

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./66/09/1134

भोपाल,दिनांक 16/9/09

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 3 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जात है।  
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती सुषमा गुप्ता (अंग्रेजी)	AK 6628	शास.बा.उ.मा.वि. डबरा जिला ग्वालियर	23040177701	शास.उ.मा.वि.गोरखी जिला ग्वालियर	23040577701
2	सिखिया सेम्युअल (अंग्रेजी)	अप्राप्त	शास.क.उ.मा.वि. उन्हेल जिला उज्जैन	23210477706	शास.उ.मा.वि. महाराजवाडा क्र.1 जिला उज्जैन	23210777701
3	कल्पना पुरन्दरे (राजनीति)	AK 3722	शास.उ.मा.वि.ताजपुर जिला- उज्जैन	-	शास.उ.मा.वि. जीवाजीगंज जिला-उज्जैन	--
4.	श्रीमती चन्द्रकला भण्डलेकर (हिन्दी)	AC 5506	शास.क.उ.मा.वि. किरनापुर जिला बालाघाट	23450277702	शास.टिहली बाई उ.मा.वि. वारासिवनी जिला बालाघाट	23450777702

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.  
भोपाल,दिनांक 16/9/09


पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./66/09-1135

प्रतिलिपि--

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला ग्वालियर/बालाघाट/उज्जैन।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचातयत जिला ग्वालियर/बालाघाट/उज्जैन।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला ग्वालियर/बालाघाट/उज्जैन।
7. जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर/बालाघाट/उज्जैन। म.प्र. की ओर अग्रपिठ कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन

सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे ।

8. संबंधित प्राचार्यो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।



आयुक्त  
ब्लॉक शिक्षण म.प्र.